न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 366 सन 2022

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भागी पत्नी रामकिशन जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
3. बालादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/7/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.5420हैक भूमि में से 1/21 हिस्सा , व रोही मौजा चक 10 एनडीआर के खाता संख्या 70/23 की कुल 1.0120हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि मृतक रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एव प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.5420हैक भूमि में से 1/21 हिस्सा , व रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 70/23 की कुल 1.0120हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि मृतक रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान राजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.5420हैक भूमि में से 1/21 हिस्सा , व रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 70/23 की कुल 1.0120हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि मृतक रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तो जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 176/160 की कुल 3.5420हैक भूमि में से 1/21 हिस्सा , व रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 70/23 की कुल 1.0120हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि मृतक रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम सें दर्ज है का ना कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/07/2022. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भागी पत्नी रामकिशन जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री रामकिशन जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
3. बालादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 366 सन 2022 निर्णय दिनांक– 22/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 176/150 की कुल 3.5420हैक भूमि में से 1/21 हिस्सा , व रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 70/23 की कुल 1.0120हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि मृतक रामकिशन पुत्र नाकरण उर्फ नानकराम के नाम सें दर्ज है का ना कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner